

जमीन, मकान एवं दुकान पर कब्जा जमाये बैठे बाहुबलियों के खिलाफ भी चलाया जाये विशेष अभियान

पुलिस अधीक्षक द्वारा सूदखोरों पर नकेल कसने का अभियान स्वागत योग्य: राजिक अकील

सिवनी (नव प्रदेश)। पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा सूदखोरो पर नकेल कसने के लिये जो अभियान छेड़ा है वह स्वागत योग है पुलिस विभाग के इस कदम से मनमाना ब्याज वसूल करने वाले सूदखोरो पर अंकुश लगेगा कर्ज के बोझ में दबे पीड़ित लोगो को राहत मिलेगी। इसी तरह का अभियान चलाकर सिवनी जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय को जमीन, मकान एवं दुकान पर कब्जा जमाये बैठे बाहुबलियों के लिये भी प्रारंभ करना चाहिये, बहुत से ऐसे लोग है जिनकी जमीन, मकान, दुकान पर वर्षों से कब्जा जमाये लोगो ने न तो किराया दे रहे है न ही खाली

मतदाताओं को पहचान स्थापित करने के लिए 22 में से कोई एक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा

सिवनी (नव प्रदेश)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सिवनी डॉ राहुल हरिदास फर्टिंग ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- 2021-22 के लिए मतदाताओं को पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गये निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी को मतदाता से उसकी पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस 22 दस्तावेजों में से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड, नीला राशन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक किसान ड्राफ्टर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख,



आचार संहिता का पालन करें राजनीतिक दलों व प्रत्याशी

मंडला । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक संपन्ना हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी समस्त आदेशों एवं प्रतिबंधों के अनुरूप निर्वाचन प्रचार प्रसार संपन्ना करेंगे। बैठक में प्रेक्षक शैलेंद्र खरे, एडीएम मीना मसराम सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैठक में अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन तथा निर्वाचन कार्यक्रम की तिथिवाच जानकारी दी। उन्होंने प्रथम चरण की मतदान, मतदान केंद्रों तथा



कर रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में अनेक बार विवाद की स्थिति बनती है और जीत बाहुबलियों की होती है पुलिस पर शिकायत करने पर कोर्ट जाने की सलाह दी जाती है जबकि ऐसे मामले में सम्पत्ति के दस्तावेज के आधार पर पुलिस विभाग को असली मालिक को



हक दिलाना चाहिये। यह भी देखा गया है कि लाखों की सम्पत्ति मालिक कौडियों के दाम बेचने में मजबूर हो जाता है प्रभावशाली और बाहुबली, गुंडा तत्व इसका फायदा उठाकर गुंडागर्दी करते हैं। इसी तरह जिले में अनेक प्रकरण फर्जी चेक थमाकर फरार हो

विद्युत लाइन प्रभावित होने के नाम पर काटे गए हरे-भरे पेड़

मंडला । शहर से हरियाली लगातार कम हो रही है, हरियाली के नाम पर पौधरोपण तो नहीं किए जा रहे हैं लेकिन हरे भरे पौधों को जरूर काटा जा रहा है। जिला अस्पताल के पीछे रानी दुर्गावती वार्ड में नगरपालिका द्वारा चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगाई गई थी और आसपास पौधरोपण कराया गया था। ये पौधे समय के साथ हरे-भरे पेड़ में तब्दील हो गए थे लेकिन अचानक दो-तीन दिनों पूर्व इन सभी पेड़ों को पूरी तरह काटकर अलग कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गमई के दिनों में इन पेड़ों से आसपास ठंड का अहसास होता था। इसी के साथ हरियाली होने से लोग यहां कुछ समय विश्राम भी करते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक दो-तीन दिन पूर्व बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इन पेड़ों को नीचे से काटकर अलग कर दिया। उन कर्मचारियों का कहना था कि इन पेड़ों के कारण उपर से गई बिजली की लाईन प्रभावित हो रही थी जिसके चलते इन पेड़ों को काटा

किसानों से व्यापारी बनकर फर्जी लोग उनकी उपज खरीद लेते हैं, भुगतान के नाम पर चेक थमा देते हैं और गरीब किसानों का पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। पीड़ित किसान थानो के चक्कर लगाते रहता है उन्हें उनकी उपज की राशि नहीं मिलती पिछले वर्ष धनौरा क्षेत्र में जिला छिन्दवाड़ा-चांदामेटा के किसी फर्जी व्यक्ति ने लाखों रूपये की फसल किसानों की लेकर चम्पत हो गया, इस वर्ष भी नगर सीमा से लगे ग्राम राधादेही, कोहका, कंडीपार के गरीब किसानों की लगभग 15 लाख रूपय की फसल लेकर फर्जी चेक थमाकर फरार हो गया। पुलिस यदि चाहे तो ऐसे



गया है।प्रतिमा स्थलों के जीर्णोद्धार की मांग = अखिल भारतीय मानव अधिकार संगठन के जिलाध्यक्ष सुनील मिश्रा ने बताया कि शहर में विकास के नाम पर आए दिन हरे-भरे पेड़ों की कटाई कराई जा रही है। आज जिस तरह से आक्सीजन प्लांट लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, यह इसी तरह के पेड़ों की कटाई का ही नतीजा है। आने वाले समय में यदि पेड़ों की कटाई रूँ ही जारी रही तो घर-घर आक्सीजन प्लांट लगाने की नौबत आ जाएगी। शहर में हरियाली के लिए पौधरोपण कराए जाने चाहिए। बिजली की लाईन यदि पेड़ों के कारण प्रभावित होती भी है तो

धोखेबाज व्यक्तियों को पकड़ कर गरीब किसानों की राशि वापस दिला सकती है। पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि जमीन, मकान, दुकान पर कब्जा करने वाले बाहुबली व किसानों की उपज खरीद कर पैसा नहीं देने वाले फर्जी लोगो के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें, जिससे वर्षों से अपनी जमीन, मकान दुकान खाली होने का रास्ता देख रहे लोगो को राहत मिल सके, और गरीब किसानों को उनकी फसल का दाम मिल सके। उकाशय की बात प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कांग्रेस प्रवक्ता राजिक अकील द्वारा बात कही गई है।

कोरोना संक्रमण की संभावित लहर से निपटने के लिए की गई तैयारियों की कलेक्टर ने की समीक्षा



सिवनी (नव प्रदेश)। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फर्टिंग द्वारा गुरुवार 23 दिसंबर को समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में पीएसए प्लांट क्षमता अनुरूप क्रियान्वयन की स्थिति, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेण्डर की उपलब्धता के साथ ही मेडिसिन किट की उपलब्धता

की जानकारी लेते हुए सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन को सभी उपलब्ध संसाधनों की मॉक ड्रिल कर संचालन की स्थिति का अवलोकन करने के निर्देश दिये। साथ ही जिला चिकित्सालय एवं विकास खंडों में बनाये गये कोविड केयर केंद्रों को वर्किंग स्थिति में बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने संभावित लहर के मद्देनजर उपलब्ध डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों को पूर्व से इट्यूटी आवॉर्टिट कर सभी के कोविड प्रोटोकॉल अनुसार प्रशिक्षत करने

के निर्देश भी दिये। कलेक्टर डॉ फर्टिंग ने जिला टीकाकरण अधिकारी को कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में गति लाते हुए शीघ्र ही जिलें में निवासरत शतप्रतिशत व्यक्तियों का टीकाकरण पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित अधिकारी को विदेश यात्रा से लौटे यात्रियों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रतिदिन अधिक से अधिक व्यक्तियों को सेम्पल लेने निर्देश दिये। उन्होंने मोबाइल टीम के माध्यम से सुदूर ग्रामों में भी सँदिग्धों के नमूने लेने के निर्देश दिए हैं।

मतदान दिवस में रहेगा उद्योगों, कारखानों तथा प्रतिष्ठानों का अवकाश

सिवनी (नव प्रदेश)। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान तीन चरणों में प्रथम चरण 06 जनवरी गुरुवार, द्वितीय चरण 28 जनवरी 2022 शुक्रवार एवं तृतीय चरण 16 फरवरी 2022 बुधवार में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) सिवनी डॉ.राहुल हरिदास फर्टिंग ने जिले में शतप्रतिशत मतदान को लेकर जिले के पंचायत क्षेत्र में संचालित उद्योगों, प्रतिष्ठानों, कारखाने एवं दुकानों के साप्ताहिक अवकाश घोषित करने का आदेश दिया है। ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जाएगा। मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिन छुट्टी न रख कर मतदान दिवस के दिन छुट्टी रखी जाएगी। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश श्रम विभाग को दिए गए हैं।

कारीकोन टापू के जंगल में ग्रामीणों ने किया तेंदुए के दिखने का दावा

मंडला । महाराजपुर परिक्षेत्र में नर्मदा तट किनारे तेंदुआ को लेकर खौफ बरकरार है। यहां लगातार ग्रामीण तेंदुआ की उपस्थिति की बात कह रहे हैं। वहीं वन विभाग अभी तक तेंदुआ प्रत्यक्ष तौर पर देखे जाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। गुरुवार को फिर मानादेई गांव की ओर कारीकोन टापू के जंगल से लगे क्षेत्र में दोपहर के वक्त तेंदुआ दिखाई देने की जानकारी ग्रामीणों ने दी। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। तत्काल महाराजपुर रेंज रेंजर मेघा कुर्मी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची। कारीकोन टापू के जंगल और मानादेई गांव के बीच नर्मदा की एक बड़ी धार बहती है। जो आगे जाकर नर्मदा में एक होकर बढ़ जाती है। इसी क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक जंगली जानवर



को देखा। उनके अनुसार उसकी उंचाई काफी कम थी। तेजी से तट किनारे भाग रहा था। उसके शरीर पर तेंदुआ जैसे ही निशान देखे हैं। पर ग्रामीण जहां एक तट पर थे। वहीं कारीकोन टापू की ओर दूसरे तट पर उस जंगली जानवर को भागते देखा है। ग्रामीणों के अनुसार वह तेंदुआ का शावक हो सकता है। लेकिन वन विभाग की टीम नदी

प्रदेश में पत्रकार नहीं सुरक्षित बन रहे झूठे प्रकरण : कमलेश्वर सरकार पत्रकारों की सुरक्षा में जारी आदेश को नहीं करा पा रही है पालन

नव प्रदेश सीधी। प्रदेश में लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने वाले पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं हैं। उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उनके सम्मान व प्रतिष्ठा को पूरी तरह धूमिल करने का काम शिवराज सरकार कर रही है। विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने विधानसभा में सरकार से जानना चाहा कि सीधी एवं सिंगरौली जिले में पिछले दो वर्षों में कितने पत्रकारों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए है। गृह मंत्री ने इसके उत्तर में बताया कि सीधी एवं सिंगरौली जिले में पिछले दो वर्ष में छह प्रकरण दर्ज किये गए हैं। जिले के वरिष्ठ पत्रकार व्यूरोचीफ सीधी अखिलेश पाण्डेय के विरुद्ध दर्ज किए गए झूठे पुलिस प्रकरण के संबंध में गृह मंत्री ने बताया की इनके विरुद्ध अज्ञात थाने सीधी में प्रकरण दर्ज है। विधायक श्री

पटेल ने कहा कि समाज मे लोक हितकारी कार्य, जनता की सेवा के लिए पत्रकार निरंतर कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ पर भी माना गया है। पत्रकार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किंतु कठोर, समतुल्य एवं तानाशाही सरकार की नीति और कार्यप्रणाली से आज प्रदेश के पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। पत्रकार निष्पक्ष व स्वतंत्र लेखनी से समाज का चित्रण करते हुए कई आलेख, समाचार प्रकाशित करते हैं तो सरकार को आज वह भी नागवार गुजर रहा है। इसकी एक बानगी सीधी जिले के चुरहट, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पद पर रहते हुए चंद्रगुप्त द्विवेदी की है। उन्होंने मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के विभिन्न आदेशों की धता बताकर सम्मानित पत्रकार के विरुद्ध बिना कोई



जांच के फर्जी व कूट रचित आपराधिक प्रकरण बनाया जो कि आधारहीन एवं अनैतिक है। निर्दोष पत्रकार पर विभिन्न धाराओं में अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के विरोध में उच्च स्तरीय जांच की मांग करने पर पुलिस महानिरीक्षक रीवा, जोन रीवा द्वारा जांच की गई। उसमें

उक्त पत्रकार निर्दोष पाए गए तथा पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए। इन कूटरचित, षड्यंत्र पूर्वक पुलिस प्रकरण दर्ज करने वाले अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को लापरवाही एवं कदाचरण का दोषी पाया गया। पुलिस महानिरीक्षक रीवा ने इस आशय का एक प्रतिवेदन संबंधित पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही के लिए पुलिस महानिदेशक भोपाल को प्रेषित किया। उसके बाद शासन ने पुलिस अधिकारी की बीमारी एवं निकट भविष्य सेवानिवृत्ति को आधार बनाकर भविष्य के लिए सचेत कर इति श्री कर ली। पत्रकार श्री पाण्डेय के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज करा अमानवीय व्यवहार किया जो कि सर्वदा निंदनीय है। विधायक श्री पटेल ने शासन व पुलिस प्रशासन से पत्रकार के विरुद्ध दर्ज किए गए झूठे प्रकरण को तत्काल वापस

लेने का आग्रह किया है। श्री पटेल ने बताया कि शासन की इस दमनकारी एवं तानाशाही प्रवृत्ति के कारण समाजसेवी, पत्रकार व आमजन भी अब सुरक्षित नहीं है। दरअसल कुछ वर्षों से पत्रकारों के ऊपर झूठे मामले दर्ज करने की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। प्रताड़ित कई पत्रकारों द्वारा इसकी फरियाद संबंधित अधिकारियों के साथ ही मंत्री एवं प्रदेश स्तर के अधिकारियों से भी की है। बावजूद इसके कोई सार्थक कार्यावाई नहीं की गई। जिसके चलते प्रताड़ित होने वाले पत्रकारों में काफी मायूशी देखी जा रही है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को भी पत्रकार प्रताड़ना से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिसको उनके द्वारा काफी गंभीरता से लेते हुए इस मामले को विधानसभा में उठाया गया है।



संपादकीय

समय पूर्व सत्रावसान

संसद के शीतकालीन सत्र का समय से पूर्व ही सत्रावसान कर दिया गया। संसद के दोनों सदनों में लगातार विपक्ष द्वारा हंगामा करने की वजह से लोकसभा और राज्यसभा को एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र का भी बहुत कीमती समय हंगामों की भेंट चढ़ गया। दरअसल सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने ही यह कोशिश नहीं की कि सत्र के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो। संसद के मानसून सत्र में हंगामा करने वाले राज्यसभा के 12 सांसदों को इस सत्र के लिए निलंबित किया गया था। इसे मुद्दा बनाकर विपक्ष ने राज्यसभा में पूरे सत्र के दौरान हंगामा किया, इसकी वजह से राज्य सभा की कार्यवाही बाधित होती रही। निलंबित सांसदों ने संसद परिसर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर अपना विरोध जताया। इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी हंगामा होता रहा। सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे को संसद में गतिरोध के लिए जिम्मेदार ठाहराते रहे जबकि संसद को सुचारू रूप से चलाने की जितनी जिम्मेदारी सत्तापक्ष की होती है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। बहरहाल विपक्ष के लगातार हंगामों के बावजूद इस सत्र में तीन विवादामुद्द कृषि कानून पहले ही दिन वापस ले लिए गए और नौ महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पारित हो गए। यदि संसद का बहुत सारा बेशकीमती समय हंगामों की भेंट नहीं चढ़ता तो कई और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो सकती थी और वे भी पारित हो सकते थे। संसद सत्र की समाप्ति के एक दिन पूर्व टीएमसी के एक सांसद ने फिर रूल बुक फेक दी। जिसकी वजह से उन्हे भी निलंबित किया गया। अब समय आ गया है कि संसद के भीतर माननीयों का आचरण सही हो इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची जाएं, जिसका उल्लंघन करने वाले माननीयों को न सिर्फ संसद सत्र के लिए निलंबित किया जाए बल्कि उन्हे सांसद पद से ही बर्खास्त किया जाए। जब तक इस तरह का कड़ा कानूनी प्रावधान नहीं किया जाता तब तक सांसदों का हंगामा यू ही होता रहेगा और संसद का कामकाज प्रभावित होता रहेगा। इसके साथ ही सांसदों के लिए भी जितना काम उतना दाम का नियम लागू किया जाना चाहिए। आखिर उन्हे इतना भारी भरकम वेतन भत्ता और डेर सारी सुविधाएं इसलिए नहीं दीं, उन्हें करने के संसद में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद में सिर्फ हंगामा खड़ा करें। संसद की कार्यवाही पर प्रति मिन्ट लाखों का खर्च आता है जो जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई होता है, इसका दुरुपयोग कदाई नहीं होना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बारे में सत्तापक्ष और विपक्ष मिलकर गंभीर चिंतन करेंगे और संसद का आगामी सत्र सुचारू रूप से चले इसका कोई रास्ता निकालेंगे।

विचार

आदर्श ग्राम : कमाल के फैसले



हरयाणा के एक गांव उटावड़ में ग्राम महापंचायत ने बड़े कमाल के फैसले लिये हैं। ग्रामीणों की इस महापंचायत ने यह घोषणा की है कि जो कोई भी गोहत्या करेगा, उस पर 51000 रु. का जुर्माना ठेक दिया जाएगा और उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। गोहत्या पर कानूनन सजा तो मिलती ही है, जुर्माना भी लाखों में होता है लेकिन यदि कोई पंचायत यह निर्णय करती है तो इसे अदालत के मुकाबले ज्यादा आसानी से लागू किया जा सकता है। पंचि अमराधों या अतिथियों पर कानूनी बदशैं नहीं हैं, उन्हें करने पर भी इस पंचायत ने सजा के प्रावधान किए हैं। जैसे उस गांव के किसी भी होटल में मांसाहारी भोजन बनाने पर भी प्रतिबंध होगा। सिर्फ चिकन बनाने की अनुमति होगी। यदि कोई बड़े जानवर का मांस बेचेगा या जोर से गाने बजाएगा या शराब पीकर गांव में घूमेगा तो उस पर भी हजारों रु. का जुर्माना किया जाएगा। सबसे अनूठा नियम इस महापंचायत ने यह जारी किया है कि विवाह-समारोहों में देहेज का दिखावा नहीं किया जाएगा और शादियों में 52 बरातियों से ज्यादा नहीं आ सकेंगे। यों तो देहेज मांगने पर सजा का प्रावधान कानून में है लेकिन देश में बहुत कम शादियां बिना देहेज के होती हैं। फिर भी यदि उसके दिखावे पर प्रतिबंध होगा तो वह लेने-देनेवालों को कुछ हद तक हतोत्साहित जरूर करेगा। वास्तव में इस महापंचायत को चाहिए था कि वह गांव के सभी अविवाहित युवक-युवतियों से देहेज-विरोधी प्रतिज्ञा करवाती। उसने जुए और सट्टे पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा लगता है कि इस महापंचायत के सदस्य पलवल के इस गांव को भारत का आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इन निर्णयों का जो लोग भी उल्लंघन करेंगे, उनका सुरंग देनेवालों को पंचायत 5100 रु. का पुरस्कार देगी। अगर पंचायत आगे ये सब जबरदस्त फैसले लागू कर सके तो उसके क्या कहने लेकिन उसमें कई कानूनी अड़चनों भी आ सकती हैं। ये फैसले तो सराहनीय हैं लेकिन जुमानें वगैरह से भी ज्यादा कारगर होते हैं- संस्कार। यदि गांवों और शहरों के बच्चों को बचपन से ही इन बुराइयों के विरुद्ध संस्कार मिल जायें तो इतने सख्त नियमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उटावड़ को आदर्श ग्राम बनाने की इस महापंचायत के अध्यक्ष कोई रोहतास जैन हैं तो उनका समर्थन करनेवाले पूर्व सरपंच अख्तर हुसैन, मकसूद अहम और आस मुहम्मद हैं।

पाठकों की बात

सुनों, तुम कहे तो

सुनों, तुम कहे तो दुनियाँ को बता देते हैं एक अरसा हुआ तुमसे मिले हुए धड़कनों के एतबार को सुना देते हैं खामोश लव है खामोश ये निगाहें अपनी ख्वाहिशों को लिख देते हैं चाँद की चमक कोहरे घने में छुपा जी भर इस चाँद को दुहाई देते हैं कि ख्यालों का एक जहाँ बिन तेरे भी निभा देते हैं मैं और तुम एक कहानी मोहब्बत का नाम देते हैं - **नंदिता तनूजा**

जया जी को राज्य

जया जी को राज्य सभा में देख कर संत कबीर जी की यह बात याद आयी जैसा भौसान खाइये, तैसा ही मन होया जैसा पानी पीजिये, तैसी बानी सोया। एक

अहंकारी, ग़लत, क़्रोथित ईसान का शाप नहीं लगता है! श्रीमती और श्री.क़्रको इसके बारे मै गौतम बुध को पडना चाहिए!

- **ओम प्रकाश जायसवाल**



योगेश कुमार गोयल

उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए देश में कई कानून बनाए गए लेकिन 24 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आने के बाद से उपभोक्ताओं को शीघ्र, त्वरित और कम खर्च पर न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दृष्टि उपभोक्ता कानून 24 दिसम्बर को अस्तित्व में आया था, इसीलिए प्रतिवर्ष इसी दिन ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है, जिसका अहम उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके ताकि वे अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में आवाज उठा सके। उपभोक्ता दिवो को शीघ्रता के साथ नया उपभोक्ता कानून लागू किया जा चुका है। उपभोक्ता संरक्षण कानून का मुख्य उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा के अनुसार उचित मूल्य, गुणवत्ता, शुद्धता, मात्रा एवं मानकों में वस्तुएं उपलब्ध हों।



नरविजय यादव

भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 210 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि वैक्सीन लगवा चुके और कोविड से पीड़ित रह चुके लोगों को दोबारा संक्रमित होने का खतरा है। यह भी खतरा है कि उत्सवों के ऐसे समय में लोग अधिक बीमार पड़ेंगे और मौतें भी अधिक होंगी। इसी के मद्देनजर, कर्नाटक ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पार्टी या सामूहिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी है। नये साल के सार्वजनिक उत्सव नहीं होंगे, वरन्वों में डीजे नहीं बजेगा। यहां तक कि अपार्टमेंट में भी कोई पार्टी या डीजे नहीं होगा। मुंबई में 200 या अधिक लोगों की पार्टी करने से पहले अनुमति लेनी होगी।

अभिव्यक्ति

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विशेष

जानें अपने उपभोक्ता अधिकार और बनें जागरूक उपभोक्ता

अनिल ने अपना बिजली का बिल सही समय पर जमा करा दिया लेकिन फिर भी विभाग ने उसका बिजली कनेक्शन काट दिया। रोमा ने रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन भेजने की अंतिम तिथि से 4 दिन पहले ही स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन भेज दिया था लेकिन आवेदन सही समय पर नहीं पहुंचने के कारण वह परीक्षा में नहीं बैठ सकी और डाक विभाग इसके लिए अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। सीमा का लैंडलाइन फोन कई महीनों से खराब पड़ा है पर विभाग फोन ठीक कराने के बजाय बिल लगातार भेज रहा है और बिलों के भुगतान के लिए बाध्य करता है। राकेश के साथ जोखिम अवधि के दौरान ही दुर्घटना होने पर भी बीमा कम्पनी क्लेम का भुगतान नहीं कर रही। सुरेश महता ने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया लेकिन आरक्षण के बाद भी बर्थ नहीं मिली। संगीता ने बाजार से मिर्च का पैकेट खरीदा, पैकेट खोला तो मिर्च में फफूंद लगी थी लेकिन दुकानदार पैकेट बदलने को तैयार नहीं। रमेश ने बाजार से बिजली का एक पंखा खरीदा लेकिन एक वर्ष की गारंटी होने के बावजूद सिर्फ दो महीने बाद ही पंखा खराब होने पर भी दुकानदार उसे ठीक कराने या बदलने में आनाकानी कर रहा है।

जीवन में ऐसी छोटी-बड़ी समस्याओं का सामना कभी न कभी प्रायः हम सभी को करना पड़ता है लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे मामलों में दुकानदार या सेवा प्रदाता को कोसते हुए मन ही मन कुढ़ते रहते हैं या दूसरों के सामने बड़बड़ाकर अपने दिल की भड़ास भी निकाल लेते हैं किन्तु जागरूकता के अभाव में अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। इसका बड़ा कारण यही है कि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ है लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, वे भी प्रायः अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति उदासीन नजर आते हैं किन्तु अब जमाना बदल गया है। यदि आप एक उपभोक्ता हैं और किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार हुए हैं तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर न्याय पा सकते हैं। स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन भेजने के बाद भी सही समय पर आवेदन नहीं पहुंचने पर डाक विभाग की लापरवाही को लेकर रोमा ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसे न्याय भी मिला। चूँकि स्पीड पोस्ट को डाक अधिनियम में एक आवश्यक सेवा माना गया है, अतः उपभोक्ता अदालत ने डाक विभाग को सेवा शर्तों में कमी का दोषी पाया और डाक

विभाग को रोमा को मुआवजे के तौर पर एक हजार रुपये देने का आदेश दिया गया।

उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए देश में कई कानून बनाए गए लेकिन 24 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आने के बाद से उपभोक्ताओं को शीघ्र, त्वरित और कम खर्च पर



उपभोक्ता अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें लंबी-चौड़ी अदालती कार्रवाई में पड़े बिना ही आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यही नहीं, उपभोक्ता अदालतों से न्याय पाने के लिए न तो किसी प्रकार के अदालती शुल्क की आवश्यकता पड़ती है और मामलों का निपटारा भी शीघ्र होता है।

न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। चूँकि उपभोक्ता कानून 24 दिसम्बर को अस्तित्व में आया था, इसीलिए प्रतिवर्ष इसी दिन ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है, जिसका अहम उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके ताकि वे अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में आवाज उठा सकें। उपभोक्ता हितों को ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए 20 जुलाई 2020 को कई नए और महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ नया उपभोक्ता कानून लागू किया जा चुका है।

कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही न होने दी हो?

इस कॉलम में पहले ही मैंने जिस बात का अंदेश जताया था वही हो रहा है। दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने क्रिसमस और नये साल की पार्टियों पर तरह-तरह की पाबंदियां लगा दी हैं, जबकि बाकी राज्य ऐसा करने की तैयारी में हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और यूटीज को सावधान रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। रात का कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गयी है और रोकथाम के सभी उपाय लागू करने को कहा गया है। राज्यों को फिर से अपने +वॉर रूम+ चालू करने, कोविड टेस्टिंग तेज करने और भीड़ न लगने देने को कहा गया है। शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या सीमित रखने की कवायद शुरू हो गयी है। चाहिर है इस सब का असर बस, ट्रेन, हवाई जहाज, दफ्तरों और कारखानों यानी हर जगह पड़ेगा। वजह यह है कि कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट, दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट से तीन गुना तेजी से फैलता है।

भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 210 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि वैक्सीन लगवा चुके और कोविड से पीड़ित रह चुके लोगों को दोबारा संक्रमित होने का खतरा है। यह भी खतरा है कि उत्सवों के ऐसे समय में लोग अधिक बीमार पड़ेंगे और मौतें भी अधिक होंगी। इसी के मद्देनजर, कर्नाटक ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पार्टी या सामूहिक समारोहों पर पाबंदी लगा दी है। नये साल के सार्वजनिक उत्सव नहीं होंगे, क्लबों में डीजे नहीं बजेगा। यहां तक कि अपार्टमेंट में भी

कोई पार्टी या डीजे नहीं होगा। मुंबई में 200 या अधिक लोगों की पार्टी करने से पहले अनुमति लेनी होगी। दिल्ली



राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य समारोहों की भी अनुमति नहीं है। ऐसे हालात में लोग क्या करें? दिल्ली एम्स के चीफ और भारत के टॉप सर्जन डॉ. रणदीप गुलेरिया का सुझाव है कि कोरोना के नये वायरस से बचाव के लिए दो उपाय करने चाहिए। पहला यह कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवायें, और दूसरा उपाय यह कि हर तरह की सावधानी बरतें। यानी मास्क लगाये रखें, लोगों से दो हाथ की दूरी बनाकर रखें और गैरजरूरी यात्रा न करें। उत्तर प्रदेश और बाकी चुनावी राज्यों के निवासियों को खास सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक दलों को आपकी सलामती की रती भर फिक नहीं है। राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटायी जायेगी, अस्पतालों में हाहाकार मचेगा, चिकित्सा पेशेवरों की जिम्मेदारी चौगुना बढ़ जायेगी। काश कि मई माह जैसा संकट फिर से न आये। काश कि तीसरी लहर न आये। प्रार्थना है कि देशवासी सुरक्षित रहें।

काश कि तीसरी लहर न आये। प्रार्थना है कि देशवासी सुरक्षित रहें।

सरकार ने कोरोना संबंधी सभी पार्वदियों को 31 दिसंबर

उपभोक्ता संरक्षण कानून का मुख्य उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा के अनुरूप उचित मूल्य, गुणवत्ता, शुद्धता, मात्रा एवं मानकों में वस्तुएं उपलब्ध हों। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए इस समय देशभर में 500 से भी अधिक जिला उपभोक्ता फोरम हैं तथा प्रत्येक राज्य में एक राज्य उपभोक्ता आयोग है। देशभर में समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य उपभोक्ता आयोग हैं जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें उपभोक्ता अदालतों से उपभोक्ताओं को पूरा न्याय मिला है लेकिन आपसे यह अपेक्षा तो होती ही है कि आप अपनी बात अथवा दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत तो पेश करें।

अब यह भी जान लें कि उपभोक्ता आखिर है कौन? इस बारे में उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट है कि हर वो व्यक्ति उपभोक्ता है, जिसने किसी वस्तु या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है तथा क्षतिपूर्ति के

मांग कर सकता है। खरीदी गई किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवा में कमी या उसके कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के बदले उपभोक्ताओं को मिला कानूनी संरक्षण ही उपभोक्ता अधिकार है। यदि खरीदी गई किसी वस्तु या सेवा में कोई कमी है या उससे आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 14 में स्पष्ट किया गया है कि यदि मामले की सुनवाई के दौरान यह साबित हो जाता है कि वस्तु अथवा सेवा किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण है तो उपभोक्ता मंच द्वारा विक्रेता, सेवादाता या निर्माता को यह आदेश दिया जा सकता है कि वह खराब वस्तु को बदले और उसके बदले दूसरी वस्तु दे तथा क्षतिपूर्ति का भी भुगतान करे या फिर ब्याज सहित पूरी कीमत वापस करे। उपभोक्ता अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें लंबी-चौड़ी अदालती कार्रवाई में पड़े बिना ही आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यही नहीं, उपभोक्ता अदालतों से न्याय पाने के लिए न तो किसी प्रकार के अदालती शुल्क की आवश्यकता पड़ती है और मामलों का निपटारा भी शीघ्र होता है।

QUIZ TIME

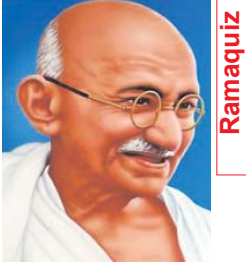
- हाइटेक गुड़ फैक्टरी कृषि कॉलेज किस जिले में लगाया जाएगा ?
- जूलाजिकल सर्वे ऑफ़इंडिया द्वारा किस अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति की तितलियां खोजी गई है?
- छ.ग. की कौन सी विश्वविद्यालय फूड टेक्नॉलॉजी पर बी-टेक कराने वाला है?
- राज्य में शिशु संरक्षण माह का आयोजन कब किया गया?
- गांधी ग्राम किस जिले में बनाना घोषित हुआ है?

अपूरक (9) 0707-8-44 14 1-14 (7) 1707070707 शुक्रि पुर्णायरपुर्ण्ड (६) २२२२२२ (7) ३३३३ (1) -1111२२२२

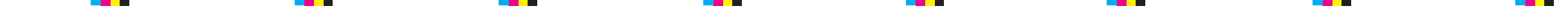
आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1715 - स्वीडन की सेना ने नार्वे पर कब्जा किया। 1798 - रूस और ब्रिटेन के बीच दूसरे फ्रांस विरोधी गठबंधन पर हस्ताक्षर। 1894 - कलकत्ता में पहले मेडिकल कांग्रेस का आयोजन। 1921 - नोबेल पुरस्कार विजेता रबीन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1954 - दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस ने स्वतंत्रता हासिल की। 1962 - सोवियत संघ ने नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया। 1967 - चीन ने लोप नोर क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। 1986 - लोटस टैपल श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। 1996 - तजाकिस्तान में गृहयुद्ध को समाप्त करने के लिए सम्झौता सम्पन्न। 2000 - विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने। 2002

- दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ शहादरा तीस हज़ारी लाईन से हुआ। 2005 - यूरोपीय संघ ने ‘खालिस्तान जिन्दाबाद फ़ेर्स’ नामक संगठन को आतंकवादी सूची में शामिल किया। 2006 - शिखर बैटुक में फ़िलिस्तीन को इजरायल कई सुविधाएँ देने के लिए तैयार। 2007 - मंगल ग्रह के रहस्यों की खोज करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यान मार्स ने मंगल ग्रह की कक्षा में चार हज़ार चक्र पूरे किये। 2008 - जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के अन्तिम चरण में 55८ वोट पड़े। 2011 - क्यूबा की सरकार ने 2900 केदियों को रिहा करने की घोषणा की। 2014 - अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा।



Ramaquiz



सीएमओ को 100000 की रिश्त लेकर लोकायुक्त ने किया ट्रेप



रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही

रीवा नवप्रदेश ! पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में आज दिनांक 24/12/2021 को आरोपी श्री कृष्ण पाल सिंह मुख्य नगर पंचायत अधिकारी चित्रकूट जिला सतना को ?100000/- रिश्त लेते हुए रंग हाथ पकड़ा गया । आरोपी श्री कृष्ण पाल सिंह शिकायतकर्ता अनिल तिवारी नयागांव से अनुकंपा नियुक्ति हेतु रिश्त की मांग की गई थी। सीएमओ के शासकीय आवास पर 100000/- रुपए की रिश्त शिकायतकर्ता से लेते हुए रंग हाथ ट्रेप किया गया है । यह ट्रेप कार्यवाही प्रवीण सिंह परिहार उप पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षक जियाउल हक प्रधान आरक्षक मुकेश मिश्रा , सुरेश कुमार ,आरक्षक पवन पांडेय, प्रेम सिंह, शैलेंद्र, मिश्रा शाहिद खान सहित करीब 15 सदस्यीय दल के साथ मिल कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई अभी जारी है

मैहर में कुशवाहा महासभा के संभागीय अध्यक्ष का किया गया जोरदार स्वागत



नव प्रदेश मैहर ।कुशवाहा महासभा के द्वारा बनाए गए नवनिर्मित संभागीय अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा का इंदौर से मैहर के बीच सैकड़ों जगह किया गया स्वागत प्रथम मैहर मां शारदा की नगरी पहुंचे थे कमलेश कुशवाहा जहां कार्यकर्ताओं द्वारा जगह-जगह पर जोरदार स्वागत किया गया मैहर में ढोल नगाड़ों के साथ और पुष्पगुच्छ भेंट कर माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया वही कमलेश कुशवाहा ने बताया कि सतना में आयोजित होने वाली को ओबीसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मैहर से सतना अपने सैकड़ों को तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ मैहर से खाना होगी और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के विरोध में राज्यपाल के

नाम सतना कलेक्टर को जापन सौंपने खाना हुए नवनिर्वाचित संभागीय अध्यक्ष के स्वागत समारोह में वीरेंद्र कुशवाहा, सत्येंद्र कुशवाहा(गुड्डा), बद्री कुशवाहा (कुशवाहा संघ अध्यक्ष), पंकज कुशवाहा रुपेश कुशवाहा देवराज कुशवाहा,रामबहोरी कुशवाहा, बादशाह पटेल, सहित तमाम कुशवाहा संगठन के लोग मौजूद रहे

इनका कहना है
संगठन ने मुझे काम करने का मौका दिया है और मुझे संगठन के द्वारा संभाग रीवा का दायित्व सौंपा है मैं पूरी लगन से काम करूंगा और लोगो के हित के लिए हमेशा दत्पय रहूंगा

कमलेश कुशवाहा
(कुशवाहा संभाग अध्यक्ष)

गणेश स्कूल में नए साल के स्वागत में लगी ग्रीटिंग कार्ड प्रदर्शनी

कला से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता- महेंद्र तिवारी



नव प्रदेश सीधी। जल्द ही नया साल आने वाला है, जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। नए साल के मौके पर गिफ्ट और कार्ड्स देने का चलन सालों पुराना है। क्रिसमस और शरदियों की छुट्टी से पहले नए साल के स्वागत को लेकर श्री गणेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प?रा में ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता के तहत छात्र-

छात्राओं के द्वारा हाथों से तैयार की गई ग्रीटिंग कार्ड की एक दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। जिसमे विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक कार्ड सजाए गए थे। एक दिवसीय ग्रीटिंग कार्ड प्रदर्शनी का उद्घाटन स्कूल के प्राचार्य महेंद्र तिवारी ने किया। उन्होंने छात्रों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के द्वारा बनाये ग्रीटिंग

कार्ड में सृजनात्मकता के विविध रंग दिखाई पड़ रहे हैं। श्री तिवारी ने कहा कि कला भावों की अभिव्यक्ति है जिससे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। कला शिक्षक राजकपूर चितेरा के कुशल निर्देशन में ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता में कक्षा चौथी से लेकर आठवीं तक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। राजकपूर चितेरा ने बताया कि बच्चों के द्वारा ग्रीटिंग कार्डों में कला के वास्तविक रूप के दर्शन हो रहे हैं। बताया कि ग्रीटिंग कार्ड को कार्टिज पेपर, शंख, मोती, सादे पेपर, रिबन, खुद की चित्रकारी के जरिए काफी आकर्षक बनाया गया था। इस मौके पर परीक्षा प्रभारी संजय सिंह चौहान, अर्चना मिश्रा, रीता कौल, धर्मेन्द्र मिश्र, राजेश नवैत, हेमांगद शुक्ल, रविराज सिंह परिहार, प्रभुल थारवानी, अमित सिंह बाघेल, राकेश पाण्डेय, तरुणनाथ मिश्र, विश्वास पाण्डेय, बालेश्वर शुक्ल, अशोक साकेत, आशीष शुक्ल, प्रतिभा सिंह, अरुण मिश्र, माखनलाल मिश्र और संदीप पटेल सहित स्कूल के समस्त शिक्षकगण व कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए संकल्पित विंध्य का प्रतिष्ठित महाविद्यालय



रीवा नवप्रदेश ! आज शहर में स्थित पेंटीयम ज्वाइट टेक्निकल कॉलेज में वृहद वैक्सीनेशन का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन रीवा कलेक्टर श्रीमान इलैयाराजा टी के मार्गदर्शन तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्री बीएल मिश्रा जी साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना और समाज कार्य विभाग के सहयोग से द्वितीय चरण में लगभग 100 से अधिक छात्र-छात्राओं तथा महाविद्यालय स्टाफ का 1ह्वाह और 2दुश्च डोज का वैक्सीनेशन महाविद्यालय परिसर में किया

गया।इस वैक्सीनेशन अभियान के प्रेरणा स्रोत महाविद्यालय के मुख्य प्रबंध संचालक बीएन त्रिपाठी रहे जबकि विशेष सहयोग महाविद्यालय के शैक्षणिक संचालक एस के त्रिपाठी का प्राप्त हुआ साथ ही महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला के साथ सभी विभाग के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों के द्वारा प्रेरित किया गया। क्योंकि वैक्सीनेशन ही कोविड-19 महामारी का उपचार है वैक्सीनेशन के द्वारा ही इस महामारी से बचा जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग की ओर ज्ञानी वर्मा अमित अग्निहोत्री ओम शंकर शुक्ला भावना तिवारी राहुल तिवारी अब्बास खान उपस्थित रहे। महाविद्यालय की ओर से पीयूष सिंह गहरवार डी यम मिश्रा सरस्वती शुक्ला गिरीश भाई पटेल तथा महाविद्यालय के सभी विभाग के विभागाध्यक्ष तथा प्राध्यापकों और राष्ट्रीय सेवा योजना और समाज का विभाग सहयोग से यह अभियान सफलतापूर्वक सफल रहा है।

जिला दंडाधिकारी ने 3 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

रीवा नवप्रदेश ! कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन अपराधियों को रीवा तथा सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं में एक वर्ष के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इन अपराधियों को इन जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में इन आदतन अपराधियों को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कथित अपराधी नीलेश सिंह पिता जितेन्द्र सिंह आयु 18 वर्ष निवासी ग्राम पल्हान जिला रीवा बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का निगरानीशुदा अपराधी है। उसके विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 6 प्रकरण दर्ज हैं। नीलेश सिंह पिछले तीन वर्षों से नशीले कप सिरपर के अवैध व्यापार, लूटपाट तथा मारपीट जैसे अपराधों में लगातार लिप्त रहा है। उसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की



गई। किन्तु उसकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई है। इसलिए उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। नीलेश को रीवा सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।जारी आदेश के अनुसार पवन लोनिया पिता प्रदीप लोनिया आयु 24 वर्ष निवासी कबाड़ी मोहल्ला रीवा 2013 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसके विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 16 प्रकरण दर्ज हैं। उसके विरुद्ध चोरी, लूट, मारपीट, डकाने-धमकाने, गिरौहबंदी, शराब के अवैध व्यापार तथा अवैध शस्त्र रखने के मामले दर्ज किए गए हैं। उसके द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण आमजनता के मन में भय व्याप्त है। पवन लोनिया के विरुद्ध कई बार

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई किन्तु उसकी असमाजिक गतिविधियों तथा आपराधिक गतिविधियों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। जिसके कारण उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। उसे एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा तथा सतना जिला में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है।एक अन्य आदेश के अनुसार शिवम विश्वकर्मा उर्फ कनवा डीजे पिता दादू उर्फ बुद्धसेन विश्वकर्मा आयु 20 वर्ष निवासी कबाड़ी मोहल्ला रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। शिवम विश्वकर्मा के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 8 प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें हत्या के प्रयास, लूटपाट, नकबजनी, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली-गलौज जैसे प्रकरण शामिल हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से आमजनता के मन में भय व्याप्त है। शिवम 2018 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई

किन्तु उसके आपराधिक कृत्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। लोक शांति बनाए रखने के लिए शिवम विश्वकर्मा को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। उसे एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा, सीधी, सतना तथा सिंगरीली जिले की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

भदनपुर इण्डेन गैस एजेंसी प्रकाश जायसवाल पर लगा गरीव को अगवा करने का आरोप

मैहर।। भदनपुर इण्डेन गैस एजेंसी प्रकाश जायसवाल पर लगा गरीव को अगवा करने का आरोप।। आरोप लगने वाले आगवा हुए युवक के बिना माता की बेटियां है व भाई है बताया जा रहा है कि बारदात यह हुई कि भदानपुर अमगार निवासी राजेन्द्र सिंह आदिवासी अपनी बेटी की सादी के लिए कुछ निजी भूमि का विक्रय दिनांक 21 दिसम्बर 2021 को

किया था जिसमे से कुछ रुपया 5 से 6 लाख रुपया नगदी लिया था रात्रि के तकर्रीबन 10 बजे दिनांक 21 दिसम्बर 2021 को इण्डेन गैस एजेंसी वाले प्रकाश जायसवाल अपनी कार एम पी 19 सी बी 9479 से कही ले गया जिसे देखने वाले दो युवक थे जब सुबह तक राजेन्द्र सिंह आदिवासी का पता नहीं चला तो परिजन पूछ ताछ करने लगे लेकिन कही पता नहीं

चला तभी चसमदीत मुकेश सिंह के बताए अनुसार प्रकाश जायसवाल से फोन के माध्यम से पूछा गया तो जबाब मिला साम तक भेज दूंगा लेकिन 3 दिन बीत गए राजेन्द्र सिंह आदिवाशी का कोई पता नहीं अंतः परिजन बदरा थाना पहुंच कर अपहरण गुमसुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अब देखना होगा बदरा पुलिस क्या कार्यवाही करती है।।

आज बजरंग दल का निकलेगा शौर्य संचलन

गणवेश में नजर आएंगे कार्यकर्ता



रोड, पुराना हनुमान मंदिर,अमहा चौक,न्यू गल्ला मंडी,पटेल

पुल,ललता चौक,गांधी चौक से पूजा

जायेगा।बजरंगदल के जिला संयोजक श्रीराम सोनी,कसोबिल

पुलिस अधीक्षक ने ली शांति समिति की बैठक
रैपुरा । रैपुरा पुलिस थाने में पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा ने नगर के आम लोगों की बैठक ली। देर शाम नगर में पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने लोगों से आगामी चुनावों को लेकर शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने नगरवासियों से रूबरू होते हुए थाना क्षेत्र के कई मुद्दों पर लोगों से बात की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कस्बे में चल रहे सट्टा, चोरी तथा आगामी चुनाव में सुरक्षा के मुद्दों पर अपने विचार रखे। लोगों से पूछा कि अगर कोई गुंडा बदमाश हो जो कस्त कि जनता को परेशान करता हो, कोई सूदखोर आदि ऐसे तत्वों की जानकारी हमें दें ताकि हम ऐसे अपराधिक तत्वों पर लगाम लगा सकें।

सीएमओ को 100000 की रिश्त लेकर लोकायुक्त ने किया ट्रेप



रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही

रीवा नवप्रदेश ! पुलिस अधीक्षक श्री गोपाल सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में आज दिनांक 24/12/2021 को आरोपी श्री कृष्ण पाल सिंह मुख्य नगर पंचायत अधिकारी चित्रकूट जिला सतना को ?100000/- रिश्त लेते हुए रंग हाथ पकड़ा गया । आरोपी श्री कृष्ण पाल सिंह शिकायतकर्ता अनिल तिवारी नयागांव से अनुकंपा नियुक्ति हेतु रिश्त की मांग की गई थी। सीएमओ के शासकीय आवास पर 100000/- रुपए की रिश्त शिकायतकर्ता से लेते हुए रंग हाथ ट्रेप किया गया है । यह ट्रेप कार्यवाही प्रवीण सिंह परिहार उप पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षक जियाउल हक प्रधान आरक्षक मुकेश मिश्रा , सुरेश कुमार ,आरक्षक पवन पांडेय, प्रेम सिंह, शैलेंद्र, मिश्रा शाहिद खान सहित करीब 15 सदस्यीय दल के साथ मिल कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई अभी जारी है

मैहर में कुशवाहा महासभा के संभागीय अध्यक्ष का किया गया जोरदार स्वागत



नव प्रदेश मैहर ।कुशवाहा महासभा के द्वारा बनाए गए नवनिर्मित संभागीय अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा का इंदौर से मैहर के बीच सैकड़ों जगह किया गया स्वागत प्रथम मैहर मां शारदा की नगरी पहुंचे थे कमलेश कुशवाहा जहां कार्यकर्ताओं द्वारा जगह-जगह पर जोरदार स्वागत किया गया मैहर में ढोल नगाड़ों के साथ और पुष्पगुच्छ भेंट कर माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया वही कमलेश कुशवाहा ने बताया कि सतना में आयोजित होने वाली को ओबीसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मैहर से सतना अपने सैकड़ों को तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ मैहर से खाना होगी और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के विरोध में राज्यपाल के

गणेश स्कूल में नए साल के स्वागत में लगी ग्रीटिंग कार्ड प्रदर्शनी

कला से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता- महेंद्र तिवारी



नव प्रदेश सीधी। जल्द ही नया साल आने वाला है, जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। नए साल के मौके पर गिफ्ट और कार्ड्स देने का चलन सातों पुराना है। क्रिसमस और शरदियों की छुट्टी से पहले नए साल के स्वागत को लेकर श्री गणेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प?रा में ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता के तहत छात्र-

छात्राओं के द्वारा हाथों से तैयार की गई ग्रीटिंग कार्ड की एक दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। जिसमे विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक कार्ड सजाए गए थे। एक दिवसीय ग्रीटिंग कार्ड प्रदर्शनी का उद्घाटन स्कूल के प्राचार्य महेंद्र तिवारी ने किया। उन्होंने छात्रों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के द्वारा बनाये ग्रीटिंग

कार्ड में सृजनात्मकता के विविध रंग दिखाई पड़ रहे हैं। श्री तिवारी ने कहा कि कला भावों की अभिव्यक्ति है जिससे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। कला शिक्षक राजकपूर चितेरा के कुशल निर्देशन में ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता में कक्षा चौथी से लेकर आठवीं तक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। राजकपूर चितेरा ने बताया कि बच्चों के द्वारा ग्रीटिंग कार्डों में कला के वास्तविक रूप के दर्शन हो रहे हैं। बताया कि ग्रीटिंग कार्ड को कार्टिज पेपर, शंख, मोती, सादे पेपर, रिबन, खुद की चित्रकारी के जरिए काफी आकर्षक बनाया गया था। इस मौके पर परीक्षा प्रभारी संजय सिंह चौहान, अर्चना मिश्रा, रीता कौल, धर्मेन्द्र मिश्र, राजेश नवैत, हेमांगद शुक्ल, रविराज सिंह परिहार, प्रभुल थारवानी, अमित सिंह बाघेल, राकेश पाण्डेय, तरुणनाथ मिश्र, विश्वास पाण्डेय, बालेश्वर शुक्ल, अशोक साकेत, आशीष शुक्ल, प्रतिभा सिंह, अरुण मिश्र, माखनलाल मिश्र और संदीप पटेल सहित स्कूल के समस्त शिक्षकगण व कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए संकल्पित विंध्य का प्रतिष्ठित महाविद्यालय



रीवा नवप्रदेश ! आज शहर में स्थित पेंटीयम ज्वाइट टेक्निकल कॉलेज में वृहद वैक्सिनेशन का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन रीवा कलेक्टर श्रीमान इलैयाराजा टी के मार्गदर्शन तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्री बीएल मिश्रा जी साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना और समाज कार्य विभाग के सहयोग से द्वितीय चरण में लगभग 100 से अधिक छात्र-छात्राओं तथा महाविद्यालय स्टाफ का 1ह्वाह और 2दुश्च डोज का वैक्सिनेशन महाविद्यालय परिसर में किया

गया।इस वैक्सिनेशन अभियान के प्रेरणा स्रोत महाविद्यालय के मुख्य प्रबंध संचालक बीएन त्रिपाठी रहे जबकि विशेष सहयोग महाविद्यालय के शैक्षणिक संचालक एस के त्रिपाठी का प्राप्त हुआ साथ ही महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला के साथ सभी विभाग के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों के द्वारा प्रेरित किया गया। क्योंकि वैक्सिनेशन ही कोविड-19 महामारी का उपचार है वैक्सिनेशन के द्वारा ही इस महामारी से बचा जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग की ओर ज्ञानी वर्मा अमित अग्निहोत्री ओम शंकर शुक्ला भावना तिवारी राहुल तिवारी अब्बास खान उपस्थित रहे। महाविद्यालय की ओर से पीयूष सिंह गहरवार डी यम मिश्रा सरस्वती शुक्ला गिरीश भाई पटेल तथा महाविद्यालय के सभी विभाग के विभागाध्यक्ष तथा प्राध्यापकों और राष्ट्रीय सेवा योजना और समाज का विभाग सहयोग से यह अभियान सफलतापूर्वक सफल रहा है।

जिला दंडाधिकारी ने 3 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

रीवा नवप्रदेश ! कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन अपराधियों को रीवा तथा सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं में एक वर्ष के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इन अपराधियों को इन जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में इन आदतन अपराधियों को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कथित अपराधी नीलेश सिंह पिता जितेन्द्र सिंह आयु 18 वर्ष निवासी ग्राम पल्हान जिला रीवा बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का निगरानीशुदा अपराधी है। उसके विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 6 प्रकरण दर्ज हैं। नीलेश सिंह पिछले तीन वर्षों से नशीले कप सिरपर के अवैध व्यापार, लूटपाट तथा मारपीट जैसे अपराधों में लगातार लिप्त रहा है। उसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की



गई। किन्तु उसकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई है। इसलिए उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। नीलेश को रीवा सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।जारी आदेश के अनुसार पवन लोनिया पिता प्रदीप लोनिया आयु 24 वर्ष निवासी कबाड़ी मोहल्ला रीवा 2013 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसके विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 16 प्रकरण दर्ज हैं। उसके विरुद्ध चोरी, लूट, मारपीट, डकाने-धमकाने, गिरौहबंदी, शराब के अवैध व्यापार तथा अवैध शस्त्र रखने के मामले दर्ज किए गए हैं। उसके द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण आमजनता के मन में भय व्याप्त है। पवन लोनिया के विरुद्ध कई बार

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई किन्तु उसकी असमाजिक गतिविधियों तथा आपराधिक गतिविधियों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। जिसके कारण उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। उसे एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा तथा सतना जिला में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है।एक अन्य आदेश के अनुसार शिवम विश्वकर्मा उर्फ कनवा डीजे पिता दादू उर्फ बुद्धसेन विश्वकर्मा आयु 20 वर्ष निवासी कबाड़ी मोहल्ला रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। शिवम विश्वकर्मा के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 8 प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें हत्या के प्रयास, लूटपाट, नकबजनी, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली-गलौज जैसे प्रकरण शामिल हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से आमजनता के मन में भय व्याप्त है। शिवम 2018 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई

किन्तु उसके आपराधिक कृत्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। लोक शांति बनाए रखने के लिए शिवम विश्वकर्मा को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। उसे एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा, सीधी, सतना तथा सिंगरीली जिले की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

भदनपुर इण्डेन गैस एजेंसी प्रकाश जायसवाल पर लगा गरीब को अगवा करने का आरोप

मैहर।। भदनपुर इण्डेन गैस एजेंसी प्रकाश जायसवाल पर लगा गरीब को अगवा करने का आरोप।। आरोप लगने वाले आगवा हुए युवक के बिना माता की बेटियां है व भाई है बताया जा रहा है कि बारदात यह हुई कि भदानपुर अमगार निवासी राजेन्द्र सिंह आदिवासी अपनी बेटी की सादी के लिए कुछ निजी भूमि का विक्रय दिनांक 21 दिसम्बर 2021 को

किया था जिसमे से कुछ रुपया 5 से 6 लाख रुपया नगदी लिया था रात्रि के तकर्रीबन 10 बजे दिनांक 21 दिसम्बर 2021 को इण्डेन गैस एजेंसी वाले प्रकाश जायसवाल अपनी कार एम पी 19 सी बी 9479 से कही ले गया जिसे देखने वाले दो युवक थे जब सुबह तक राजेन्द्र सिंह आदिवासी का पता नहीं चला तो परिजन पूछ ताछ करने लगे लेकिन कही पता नही

चला तभी चसमदीत मुकेश सिंह के बताए अनुसार प्रकाश जायसवाल से फोन के माध्यम से पूछा गया तो जबाब मिला साम तक भेज दूंगा लेकिन 3 दिन बीत गए राजेन्द्र सिंह आदिवाशी का कोई पता नही अंतः परिजन बदरा थाना पहुंच कर अपहरण गुमसुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अब देखना होगा बदरा पुलिस क्या कार्यवाही करती है।।

आज बजरंग दल का निकलेगा शौर्य संचलन

गणवेश में नजर आएंगे कार्यकर्ता



रोड, पुराना हनुमान मंदिर,अमहा चौक,न्यू गल्ला मंडी,पटेल

पुल,ललता चौक,गांधी चौक से पूजा

जायेगा।बजरंगदल के जिला संयोजक श्रीराम सोनी,कसोबिल,क

पुलिस अधीक्षक ने ली शांति

समिति की बैठक

रैपुर। रैपुरा पुलिस थाने में पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा ने नगर के आम लोगों की बैठक ली। देर शाम नगर में पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने लोगों से आगामी चुनावों को लेकर शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने नगरवासियों से रूबरू होते हुए थाना क्षेत्र के कई मुद्दों पर लोगों से बात की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कस्बे में चल रहे सट्टा, चोरी तथा आगामी चुनाव में सुरक्षा के मुद्दों पर अपने विचार रखे। लोगों से पूछा कि अगर कोई गुंडा बदमाश हो जो क़त्त कि जनता को परेशान करता हो, कोई सूदखोर आदि ऐसे तत्वों की जानकारी हमें दें ताकि हम ऐसे अपराधिक तत्वों पर लगाम लगा सकें।

इंतजाम करने एवं बैगैर पास के किसी भी व्यक्ति क स्थल पर आना प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये। इ दौरान उन्होंने मतपत्र प्रिंट करने के लिए बनाये ग कम्प्यूटर कक्ष, प्रिटिंग के कागज एवं प्रिटिंग मशीन क भी निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिये।

प्रबंध संपादक- जगदीश सकतेल, सह प्रबंध संपादक- शिवचरण सनुदे, सह प्रबंध संपादक मोहम्मद इस्माइल, सलाहकार संपादक-रविकरण साहू email: navpradeshjbp123@gmail.com फोन-0761-4924975